न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर. खौड़, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री हंसमुख कुमार पुत्र मूलाराम जी, जाति- मेघवाल, निवासी- कालन्द्री, तहसील व जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 35/2021

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री प्रकाश प्रजापत, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– दिनांक 04 अगस्त, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा प्रकरण संख्या 300/20–21 में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2020 बाबत ग्राम कालन्द्री, पटवार हल्का कालन्द्री–2 के खसरा संख्या 3669 रकबा 0.80 हेक्टेयर किस्म गै.मु. वरडा भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम कालन्द्री, पटवारी हल्का कालन्द्री–2 में अपीलार्थी के 1/2 हक हिस्से की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 3670 रकबा 0.6500 हेक्टेयर आई हुई है। पटवारी हल्का कालन्द्री–2 ने अपीलार्थी को उक्त खातेदारी भूमि से लगती बिलानाम भूमि खसरा संख्या 3669 कुल रकबा 1.400 हेक्टेयर में से 0.80 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रुप से काबिज बताकर मौके की स्थिति के विपरित व सरासर गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की एवं अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री ने हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त बिलानाम भूमि पर अपीलार्थी का संवत 2077 में अतिक्रमण मानकर विधि विरुद्ध निर्णय दिनांक 20.10.2020 को पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनन व वाक्यातन भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिलानाम भूमि के मौके के विपरित निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की जांच किये बिना ही गलत रुप से अपीलार्थी को उक्त बिलानाम भूमि का अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है, जबकि मौके पर अपीलार्थी का उक्त बिलानाम भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है एवं न ही है। अपीलार्थी ने उक्त बिलानाम भूमि को अतिक्रमित किया है व न ही मौके पर काबिज है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.10.2020 को जवाब प्रस्तुत किया है जिसमें वह कारण रखे से यह उल्लेख किया है कि "ग्राम कालन्द्री में खसरा संख्या 3670 मेरी खातेदारी कब्जे का की कृषि भूमि आई हुई मौके पर पडत

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:46:28 IST
Reason: SelfAttested

पडी हुई है उसके पास में कोई बिलानाम सरकारी भूमि है इसकी मुझे जानकारी नही है। आपके कार्यालय से खसरा संख्या 3669 बिलानाम भूमि का अतिक्रमण का नोटिस मुझे प्राप्त हुआ है इस भूमि पर मेरा कोई व किसी भी प्रकार का कब्जा/काश्त नही है एवं न ही उकत बिलानाम भूमि मेरे कब्जे में है, इसलिये मौके की जांच करवाकर मेरे खिलाफ जो धारा 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस दिया है उसे निरस्त करावे।'' अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में लिखित में जवाब प्रस्तुत कर उक्त बिलानाम भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण नही होने के संबंध में अनुरोध किया था, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की जांच किये बिना व सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है। प्रकरण में मौके की जांच करवाकर व अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2020 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, कालन्द्री–2 द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2077 में ग्राम कालन्द्री के खसरा संख्या 3669 कुल रकबा 1.400 हेक्टेयर भूमि किस्म वरडा में से रकबा 0.80 हेक्टयेर भूमि पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि अनुरुप निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, कालन्द्री–2 द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2077 में ग्राम कालन्द्री, पटवार हल्का कालन्द्री–2 के खसरा संख्या 3669 रकबा 0.80 हेक्टेयर किस्म वरडा भूमि पर पडत कब्जा व बाड कर अतिक्रमण करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रथम सुनवाई तिथि 20.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री में अपीलार्थी हंसमुख कुमार उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार, कालन्द्री के प्रकरण संख्या 300/20–21 निर्णय दिनांक 20.10.2020 की जो पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुई है उसमें कुल 4(चार) पृष्ठ है, जिसमें आदेशिका, पटवारी हल्का, कालन्द्री–2 की रिपोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जारी नोटिस की न्यायालय प्रति व निर्णय दिनांक 20.10.2020 है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलार्थी का जवाब संलग्न नही है। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ उप तहसीलदार, कालन्द्री के न्यायालय में प्रस्तुत जवाब की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जिसमें जबाव की दिनांक 15.10.2020 अंकित है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा उप तहसीलदार, कालन्द्री को उक्त जवाब किस तारीख को प्रस्तुत किया गया है, उसके प्रस्तुतीकरण की दिनांक व उप तहसीलदार, कालन्द्री के मार्किंग के हस्ताक्षर अंकित नही है। चूंकि प्रकरण में हल्का पटवारी, कालन्द्री–2 द्वारा उप तहसीलदार, कालन्द्री को प्रस्तुत रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:46:28 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर. खोड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही